छिन्द्रपाल कौर **बनाम** दर्शन सिंह आदि
अन्तर्गत धारा 212 आरटीए नम्बर 19 सन् 2024
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2024/76

तामिल हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
07.06.2024	अधिवक्तागण उपस्थित। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए पर सुनी गई बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए मूलवाद के निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु निवेदन किया। अप्रार्थीगण अधिवक्ता के द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए खारिज किए जाने हेतु अर्ज किया। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार वादगत भूमि पैतृक भूमि है, जिससे हस्तगत प्रकरण के तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एंव अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में होना प्रतीत होते है। अतः प्रार्थीगण/वादीगण प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत अस्थाई व्यादेश भली–भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर अस्थायी व्यादेश बहक प्रार्थीगण विरूद्व अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 इस आशय का पारित किया जाता है कि वे चक 15 एस तहसील श्रीकरणपुर के खाता संख्या 82/83 जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 79 के मुरब्बा नम्बर 22, 49, 53 की कुल 5.947 हैक्टेयर भूमि में ताफैसला वाद अप्रार्थी संख्या 1 व 2 प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलअंदाजी न करे व मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे। पत्रावली इस कदर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो। उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)